संख्याः 16 /2025/ 831 /छिहत्तर-1-2025-1348899

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 18 मार्च,2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-142/W-409(E-2)/2024-25, दिनांक 10 अप्रैल, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 119.50 लाख को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 119.50 लाख (रूपये एक करोड उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित मदवार/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान (वर्ष 2024-25)	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	12.00	4.80	2.50
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	120.00	48.00	72.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40.00	16.00	24.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का क्रय	50.00	20.00	15.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	26.00	10.40	6.00
योग -	**248.00**	**99.20**	**119.50**

(रूपये एक करोड उन्नीस लाख पचास हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आंकडों की शुदधता एवं प्रश्नगत धनराशि के अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्षक-"2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
भवदीय,
Ambrish Kumar Singh
Date: 18-03-2025 17:22:16
(डॉ० अम्बरीश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 16 / 2025/831 (1)/छिहत्तर-1-2025-1348899, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2, वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

Signed by
आज्ञा से,
Om Prakash Chauhan
Date: 18-03-2025 17:54:51
(ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।